भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1019

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल में महिलाओं के लिए पृथक आवास पूल

1019. श्री टी० रतिनावेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहायशी आवासों की कमी पुलिस बलों में भर्ती होने में महिलाओं के सामने पेश आ रही एक प्रमुख बाधा है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार पुलिस बल में महिलाओं के लिए एक पृथक आवास पूल बनाने पर विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है। अत: इस विषय के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना एवं सशस्त्र पुलिस बलों के ऊपर राज्य सरकार की निर्भरता को कम करना है। इस योजना का फोकस पुलिस अवसंरचना को मजबूती प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख मदें, पुलिस भवन, पुलिस आवास, सचलता, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना, कम्प्यूटरीकरण एवं विधि विज्ञान हैं। इसमें कल्याणकारी उपाय के रूप में पुलिस आवास, अर्थात्, अवर स्तर के अधीनस्थ कार्मिकों (कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल) के लिए और अपर स्तर के अधीनस्थ कार्मिकों (सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक) के लिए आवास एक घटक है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करती हैं। पुलिस संगठन में प्रतिभाशाली जनशक्ति को आकर्षित करने हेतु महिलाओं के लिए आवास की सुविधाओं के प्रावधान को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को दिनांक 09.09.2014 को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पास महिलाओं के लिए पृथक परिवार कल्याण केंद्र (एफडब्ल्यूसी), महिला छात्रावास/बैरक/आवास भी हैं।

*****